—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 164/2024

उनवान

कल्याण पुत्र मोडू जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. छोटू पुत्र मोडू
2. मैनेजर, बैंक आफॅ बडौदा, शाखा रामसर, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 3 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 20/12/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा प.म. केरिया खुर्द में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी/काश्तकारी की भूमि है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

हाल खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
14/11	किता 4	0.76
30/70	किता 2	0.11
83/0	किता 2	0.80
29/69	किता 5	1.02
90/94	452/595	0.010
85/87	किता 37	7.41
82/85	किता 2	0.59
81/84	474	0.05
49/73	406	0.05

उक्त आराजी वादी की खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम कल्याण के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से कल्ला व कलो दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम कल्याण पुत्र मोडू है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से कल्ला व कलो अंकित कर दिया है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के किया गया है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम दुरूस्त किया जावे। वादी के हक में खातेदारी उद्घोषणा जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा प.म. केरिया खुर्द की आराजी के मूल खातेदार वादी देवाराम पुत्र गंगाराम है। आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम कल्याण के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से कल्ला व कलो दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम कल्याण पुत्र मोडू है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से कल्ला व कलो अंकित कर दिया है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त इन्द्राज बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के किया गया है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम दुरूस्त किया जावे। वादी द्वारा वाद के समर्थन में मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व परिवार राशन कार्ड इत्यादि पेश किये है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज किस प्रकार त्रुटिपूर्ण हुआ तथा आराजी मुतनाजा पर वादी को हित व अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुये है यह वादी ने स्पष्ट नही किया है। पूर्व राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर वादी स्वयं का नाम सही अंकित होने के समर्थन में साबिक राजस्व अभिलेख भी पेश नही किये है। वादी ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किस नामान्तकरण से उनके नाम अंकित हुआ। वादी द्वारा हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताते हुये इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है किन्तु पूर्व राजस्व अभिलेख व साक्ष्य के अभाव में वाद के कथनों की ताईद नही होती है। वादी द्वारा राजस्व अभिलेख में जो परिवर्तन चाहा है वह लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नही आता है। वादी इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम रघुनाथपुरा प.म. केरिया खुर्द की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

कल्याण बनाम छोटू

दावा बाबत :– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 164/2024
पेश करने की दिनांक – 08.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम रघुनाथपुरा प.म. केरिया खुर्द की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:44 IST
Reason: SelfAttested